



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  
INSURANCE REGULATORY AND  
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

अनुसूची 1 - फॉर्म जे  
(विनियम 10 देखें)  
Schedule I - Form J  
(See Regulation 10)

(बीमा दलाल) विनियम, 2018  
(Insurance Brokers) Regulations, 2018

पंजीकरण प्रमाणपत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

पंजीकरण संख्या

Registration No.: 939

1. बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डीकी उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा **बिहार डी. बी. इन्सुरेंस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड** को उपर्युक्त अधिनियम के अधीन **पंजीकरण** द्वारा **(जी.कॉ. एं. ए. धारा)** दलाल (श्रेणी के विवरण का उल्लेख करें) के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

In exercise of the powers conferred by sub-section. (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a certificate of registration to **Bihari Ji Insurance Broking Private Limited** to act as **Direct (Gf & General)** (Mention details of Category) broker under that Act.

2. उक्त बीमा दलाल के लिए पंजीकरण क्र. **IRDAI/DB/1039/2023**

Registration Code for the insurance broker is **IRDAI/DB/1039/2023**

3. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र **25.01.2024** से **24.01.2027** तक वैध होगा।

This certificate of registration shall be valid from **25.01.2024** to **24.01.2027**

4. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह कि सी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अथवा उनके अनुरूप है।

This Certificate of registration is subject to the Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules and regulations.

आदेशानुसार  
By Order

स्थान Place:

**Hyderabad**

दिनांक Date:

**25.01.2024**

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से  
For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India